(d) Besides sanctioning of a number of new oil Field Development Projects, short term and medium term measures have been taken by ONGC and OIL to maximise oil production. Government have also invited private Indian and Foreign companies for oil exploration and development of discovered fields in the country.

(e) It has been possible to increase mass awareness and to motivate the oil users to conserve petroleum products as well as to introduce some fuele fficient devices and thus bring about substantial saving in the consumption of petroleum products.

पेट्रोल और डीजल केन्द्रों को खोलने के लिए मानदण्ड

4069. **श्री रामसिंह राठवा**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल एवं डीजल बिक्री केन्द्रों और डीलरशिप केन्द्रों को मात्रा और दूरी के आधार पर खोला जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मात्रा और दूरी के लिये मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) पिछले वर्ष के दौरान खोले गये ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) दिशा-निर्देश की प्रति विवरण (नीचे देखिए) में दी गई है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसे 49 खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू किए गए जिसका विवरण निम्नवत है:—

आन्ध्र प्रदेश	2
बिहार	2
गुजरात	3
हरियाणा	1
कर्नाटक	3
केरल	1
मध्य प्रदेश	4
महाराष्ट्र	9
उड़ीसा	1
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	15
पश्चिम बंगाल	3
दिल्ली	1
चंडीगढ़	1

विवरण

निम्नलिखित मानकों को ध्यान में रखते हुए तेल उद्योग द्वारा समय-समय पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर नये खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के विकास हेतु निर्दिष्ट स्थान:

बाजार	दूरी मानक	मात्रा मानक
1. **खुदरा बिक्री केन्द्र**:		
(क) मात्र एच एस डी या एम एस/एच एस डी:		
"क" वर्ग — वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर	1. महानगर और अन्य शहर (नगर निगम के 15 कि॰ मी॰ की परिधि सहित)	1. सिर्फ एच एस डी: प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 50 कि॰ लि॰ प्रतिमाह देना चाहिए।
	2. संयुक्त रूप से एम एस/एच एस डी आउट्लेट (3 कि॰ मी॰ की परिधि के भीतर) 80 कि॰ लि॰ प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए।	2. एम एस/एच एस डी संयुक्त: एच एस डी 25 कि॰ लि॰ प्रतिमाह, एम एस 30 कि॰ लि॰ प्रतिमाह — प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान
	3. नगर योजना प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट स्थलों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं।	

"ख" वर्ग — वर्ष 1981 की जनसंख्या के अनुसार 2 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर :	1. नगर निगम के 5 कि॰ मी॰ सीमा के भीतर खुदरा बिक्री केन्द्रों का एम एस/एच एस डी का संयुक्त थ्रुपुट 80 कि॰ लि॰ प्रतिमाह से अधिक होना चाहिए । 2. नगर योजना प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर कोई प्रतिबंध नहीं ।	1. मात्र एच एस डी : प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 50 कि॰ लि॰ प्रतिमाह प्रदाय करना चाहिए । 2. एम एस/एच एस डी संयुक्त रूप से : एच एस डी की 50 कि॰ लि॰ प्रतिमाह एम एस 5 कि॰ लि॰ प्रति माह — प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान
"ग" वर्ग — अन्य शहर	विद्यमान बिक्री केन्द्र के 5 कि॰ मी॰ के परिधि में औसत संयुक्त थ्रुपुट 80 कि॰ लि॰ प्रतिमाह से अधिक होना चाहिए ।	1. मात्र एच एस डी : प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 50 कि॰ लि॰ प्रतिमाह प्रदाय करना चाहिए । 2. एम एस/एच एस डी संयुक्त रूप से : एच एस डी 50 कि॰ लि॰ प्रतिमाह एम एस 5 कि॰ लि॰ प्रति माह — प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान
"घ" वर्ग — राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग	प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्र के 15 कि॰ मी॰ के भीतर (दोनों तरफ) प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र संयुक्त रूप से थ्रुपुट 80 कि॰ लि॰ प्रतिमाह से अधिक होना चाहिए ।	1. मात्र एच एस डी : प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 50 कि॰ ली॰ प्रतिमाह प्रदाय करना चाहिए । 2. एम॰ एस॰/एच॰ एस॰ डी॰ संयुक्त रूप से : एच एस डी 50 कि॰ लि॰ प्रतिमाह एम एस 5 कि॰ लि॰ प्रतिमाह — प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान
"ङ" वर्ग — (सुदूर क्षेत्र जो एन एच/एस एच द्वारा कवर नहीं होते और सघन कृषि क्षेत्र जहां 10 कि॰ मी॰ की परिधि में कोई खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं है)	इन बाजारों में केवल न्यून लागत खुदरा बिक्री केन्द्रों को विकसित किया जाता है ।	मात्र एच एस डी : प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 25 कि॰ लि॰ प्रति माह ।
(ख) मात्र एम॰ एस॰ :		
"क" वर्ग	कोई नहीं	प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 30 कि॰ लि॰ प्रतिमाह प्रदाय करना चाहिए ।
"ख" वर्ग	प्रस्तावित स्थान के 5 कि॰ मी॰ की परिधि के भीतर खुदरा बिक्री केन्द्रों का औसत व्यापार 35 कि॰ लि॰ से कम होना चाहिए ।	कोई नहीं
"ग" वर्ग	प्रस्तावित स्थान के 5 कि॰ मी॰ की परिधि	कोई नहीं

	के भीतर खुदरा बिक्री केन्द्रों का औसत व्यापार 35 कि० लि० से कम नहीं होना चाहिए ।	
'घ' वर्ग	राजमार्ग के दोनों सिरे पर 15 कि० मी० के भीतर न्यूनतम मात्र 35 कि० लि० प्रति माह	कोई नहीं

नोट :—विद्यमान एच एस डी बिक्री केन्द में एम एस को भी जोड़ा जा सकता है बशर्ते 5 कि० लि० की न्यूनतम मांग क्षमता उपलब्ध हो । तथापि विद्यमान एम एस खुदरा बिक्री केन्द्रों पर एच एस डी को नहीं दिया जा सकता है ।

कोसी गैस एजेंसी, मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई अनियमितताएं

4070. **श्रीमती कैलाशपति** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कोसी गैस एजेंसी लोगों को खुलेआम लगभग दुगुने दामों पर गैस सिलेंडरों की बिक्री कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त गैस एजेंसी के विरुध्द अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस गैस एजेंसी के विरुध्द कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन ने सूचित किया है कि कोसी गैस एजेंसी के विरुध्द अधिक कीमत पर एल पी जी रिफिल सिलिंडरों की बिक्री के संबंध में उनके पास कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Agreement of Lease Signed by Hindustan Petroleum Corporation

4071. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :
SHRI MATANG SINGH :

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state :

(a) whether Hindustan Petroleum Corporation (known as ESSO before nationalisation) signed in 1962 an agreement with Smt. Bhagwan Devi owner of the land, an agreement for seven years plus seven years which expired in 1976 for setting up of a petrol pump, motel and canteen on Moti Zheel on Agra-Bombay road near Gwalior;

(b) whether Government are aware that after expiry of lease the corporation did not approach the landlady for continuation of lease and has so far been in unauthorised occupation of the land;

(c) whether after the death of land owner Smt. Bhagwan Devi in 1986, the Corporation has stopped paying any rent to the heirs;

(d) whether Government have received any representation in this regard; if so, the action taken thereon;

(e) if no action has been taken the reasons therefor; and

(f) the time by when the corporation will settle the matter and vacate the land or increase the rent ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA) : (a) Yes, Sir.

(b) HPCL continued to pay rentals regularly and the same was accepted by the land-owner till her demise in April, 1986. Hence, it cannot be said that the occupation of the site by HPCL is unauthorised.

(c) On the demise of the land-owner, HPCL was not in a position to make rental payments to the legal heirs owing to their inability to produce necessary documents to prove their inheritance. As soon as documentary evidence was made available, the Corporation forwarded the cheques for the payment of arrears of rentals, but the heirs declined to accept the same.

(d) to (f) A representation has been received from Shri Prakash Sharma for vacation of the site by HPCL. He has also filed suits in the Courts of Law, Gwalior. The matter is, thus, sub-judice.